न्यायालय—द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला, भिण्ड मध्यप्रदेश ।। पीठासीन अधिकारी—पी.सी.आर्य ।।

<u>व्यवहार वाद कं0 22ए/2014</u> संस्था0दिनांक 30.04.2008 फाईलिंग नंबर—230303000032008

तु वित्या असार्य

म0प्र0राज्य शासन द्वाराः— श्रीमान कलैक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

....वार्द

बनाम

- 1. लाखनसिंह आयु 28 साल पुत्र महीपतसिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी बिहारी नगर बंधा रोड गोहद
- बड़े उर्फ रामकरन पुत्र बाबूलाल कटारे आयु 27 साल जाति ब्रा० निवासी बड़ा बाजार गोहद
- 3. रोशनखाँ आयु 45 साल पुत्र चिरागअली जाति मुसलमान निवासी इटायली गेट नहर मुहल्ला गोहद
- अच्छन आयु 36 साल पुत्र बजीर मुहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर–11 पुराना बस स्टेण्ड गोहद
- 5. अज्जू उर्फ अमीर मुहम्मद पुत्र सवीर मुहम्मद आयु अनुमानित
- 36 साल निवासी पुराना बस स्टेण्ड गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 6. हैमू शर्मा उर्फ हैमंत शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा आयु 27 साल

जाति ब्रा० निवासी ऐंचाया रोड़ के सामने मौ रोड गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

- 7. राजेन्द्र मिर्धा आयु 33 साल पुत्र लक्ष्मन मिर्धा जाति मिर्धा निवासी वार्ड नंबर—14 नगर पालिका के पास गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 8. पिंकी उर्फ बृजमोहन आयु 36 साल पुत्र महेन्द्रसिंह गुर्जर निवासी वार्ड नंबर–15 किला रोड गोहद जिला भिण्ड
- 9. रिंकू उर्फ जितेन्द्रसिंह पुत्र सोवरनसिंह गुर्जर आयु 30 साल निवासी नये थाने के पास मौ रोड गोहद
- 10. राजू पुत्र रामगोपाल जमादार आयु 25 साल जाति मेहतर निवासी रिवयन का पुरा खटीक मुहल्ला गोहद
- 11. उमेश कांकर पुत्र बालकिशन कांकर आयु 40 साल निवासी बड़ा बाजार गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 12. शैलेन्द्रसिंह पुत्र सोवरनसिंह भदौरिया आयु 48 साल निवासी किला गेट गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 13. अन्नू कांकर पुत्र मदनलाल कांकर आयु 37 साल निवासी बड़ा बाजार गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 14. रामलखन पुत्र आशाराम गुर्जर आयु 42 साल जाति गुर्जरठाकुर निवासी रते का पुरा थाना एण्डोरी तहसील गोहद
- 15. देवेन्द्र उर्फ पुत्तन आयु 42 साल पुत्र जानकीप्रसाद

जाति ब्रा० निवासी बंधा बरथरा गोहद 16. रूबी चौहान पुत्र वीरसिंह चौहान आयु 35 साल निवासी गौरई थाना रौन हाल महावीर गंज भिण्ड

प्रतिवादीगण

वाद दिलाये जाने क्षतिपूर्ति राशि हेतु ।

वादी द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०जी०पी० । प्रतिवादी क.—02, 04, 05, 06, 11 द्वारा श्री राकेश गुप्ता अधिवक्ता। प्रतिवादी क.—03 द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता। प्रतिवादी क0—7 व 12 द्वारा श्री एम०एल० मुदगल अधिवक्ता। प्रतिवादी क0—10 द्वारा श्री ए०के० राणा अधिवक्ता। प्रतिवादी क0—14 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादी क0—15 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता। प्रतिवादी क0—01, 08, 09, 13 एवं 16 पूर्व से एकपक्षीय।

:- **नि र्ण य** :-(आज दिनांक **03 फरवरी 2016** को घोषित किया गया)

- 1. उपरोक्त वाद वादी राज्य की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध शासकीय वाहन टाटा—407 कमांक—एम0पी0—03/5600 पुलिस वैन और उसमें लगे वायरलेस सेट एवं पी0जी0 सेट के आगजनी की घटना में जलकर क्षतिग्रस्त हो जाने के आधार पर 4,57,010/—रूपये की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध थाना गोहद के अप०क०—215/06 धारा—147, 148, 149, 427, 435, 188 एवं 353 भा०द०वि० के अंतर्गत पंजीबद्ध कर वाद अनुसंधान विचारण हेतु अभियोग पत्र सक्षम जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद में प्रस्तुत किया गया था जो कि श्री पंकज शर्मा जे०एम०एफ०सी० गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय में आप०प्र०क०—903/07 पर पंजीबद्ध होकर निर्णय दिनांक 08.12.15 के द्वारा निराकृत होकर उसमें बनाये गये आरोपीगण/प्रतिवादीगण दोषमुक्त किये जा चुके हैं।
- 3. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वाहन टाटा 407 जिसका चैसिस नंबर—357124—डब्ल्यु०जेड० 922063 तथा इंजिन नंबर 497 एस०पी०आई०सी० 3 आई०एल०डब्ल्यु०एल० 922063 था जो कि पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश भोपाल के नाम पंजीकृत था जिसे पी०एच०क्यू० भोपाल के पत्र कमांक—पु०मु०/15/आधु—2/रजि०/23—बी/2004 दिनांक 07.01.04 से भिण्ड इकाई के लिये आवंटित कर कार्यालय पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय पुलिस वाहन कर्मशाला भोपाल के पत्र कमांक—842/04 के माध्यम से भिण्ड भेजा गया था। जिसकी कीमत 4,38,596/— रूपये थी

जिसमें एक वायरलेस सेट कीमत 11990/-रूपये एवं पी0जी0 सेट कीमत 6524/-रूपये का लगा हुआ था जिसके संबंध में कार्यालय निरीक्षक रेडियो जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक-2907 है।

- उपरोक्त वाहन दिनांक 20.11.06 को तहसील गोहद के पुलिस थाना गोहद के क्षेत्रान्तर्गत कानून व्यवस्था के लिये गोहद नगर में आ रहा था। तब गोहद नगर के समीप वैसली डेम के पास जब उक्त वाहन आया तो सामने भीड़ के द्वार वाहन को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया जिसका नेतृत्व प्रतिवादीगण कर रहे थे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया किन्तु सफल होने के पूर्व ही प्रतिवादीगण द्वारा वाहन में आग लगा दी गई जिससे उक्त वाहन और उसमें लगे वायरलेस सेट पी0जी0 सेट उसमें जलकर नष्ट हो गये जिससे शासन को 4,57,010 / -रूपये की क्षति हुई। उक्त वाहन को नगर निरीक्षक थाना मेहगांव धर्मवीरसिंह भदौरिया मय पुलिस बल के गोहद ला रहे थे। इसलिये उक्त क्षतिपूर्ति के लिये प्रतिवादीगण उत्तरदायी हैं। आगजनी की उक्त घटना के संबंध में थाना मेहगांव के आरक्षक अवधेश कुमार के द्वारा थाना गोहद में रिपोर्ट की गई थी जिस पर से अप०क0—215 / 206 धारा—147, 148, 149, 427, 435, 188 एवं 353 भा०द०वि० के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में पेश किया गया जो दाण्डिक प्र0क0–903/07 पर विचाराधीन है। वाहन जल जाने से और मरम्मत योग्य न पाये जाने से प्रतिवादीगण जिनके द्वारा संयुक्त तौर पर आग लगाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई उनके विरूद्ध उत्पन्न हुए वाद कारण के तहत 4,57,010 / - रूपये की क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि एवं अन्य सहायता दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।
- 5. प्रकरण में प्रतिवादी क0—2, 4, 5, 6 एवं 11 ने पृथक से, प्रतिवादी क0—7 एवं 12 ने पृथक से तथा प्रतिवादी क0—3, 10, 14 एवं 15 द्वारा पृथक पृथक वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए मूलतः यह अभिवचन किये हैं कि उनके द्वारा कोई घटना नहीं की गई है न ही उन्होंने पुलिस के किसी वाहन को पथराव करके या घेरकर आग लगाकर नष्ट किया। न ही वे किसी घटना में शामिल थे और उन्हें पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों ने आपस में मिलीभगत करके झूंठा फंसाया है। उनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है और वे किसी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। उनके विरुद्ध वादी को कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तथा क्षतिपूर्ति राशि पर मूल्यांकन कर उचित न्याय शुल्क भी अदा नहीं किया गया है इसलिये न्यायशुल्क के अभाव में प्रथम दृष्ट्याही वाद प्रचलन योग्य नहीं है। और दाण्डिक मामला विचाराधीन होने से भी दीवानी वाद संचालन योग्य नहीं है। इसलिये वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

6. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दि० 06.12.2013 को पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये गये जिनके सम्मुख विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादीगण के द्वारा वादी मध्यप्रदेश शासन के वाहन	अप्रमाणित
	टाटा—407 कमांक—एम०पी०—03/5600 को सवं उसमें लगे	
	हुए वायरलेस सेट एवं पी०जी० सेट को आग लगाकर	
	नष्टकर दिया?	
2	क्या वादी प्रतिवादीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में	अप्रमाणित
	457010 / —रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं?	
3	क्या वादी का वर्तमान दावा अप्रचलन योग्य है?	अप्रमाणित
4	क्या वादी के द्वारा न्याय शुल्क अदा न करने पर दावा	अप्रमाणित
	अप्रचलन योग्य है?	
5	सहायता एवं व्यय?	पक्षकार स्वयं वहन करेंगे

-:- सकारण निष्कर्ष -:-

वाद प्रश्न कं0-3 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण

7. उपरोक्त वाद प्रश्न वादोत्तर में की गई विशेष आपित्त के आधार पर निर्मित किया गया था कि आगजनी की जो घटना बताइ गई उसके संबंध में फौजदारी प्रकराण संचालित है और उसके संचालित रहते दीवानी वाद संचालन योग्य नहीं है। यह प्रश्न वर्तमान परिस्थितियों में औचित्यहीन हो गया है क्योंकि स्वीकृत बिन्दुओं के मुताबिक आगजनी की घटना का जो अपराध हुआ था और दाण्डिक प्रकरण संचालित हुआ था उसका निराकरण हो चुका है और उसमें प्रतिवादीगण जो कि आरोपी थे वे जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जा चुके हैं। दोषमुक्ति के निर्णय की कोई अपील की जाना भी नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में वाद सुनवाई योग्य हो जाता है और उक्त वाद प्रश्न अप्रमाणित हो जाता है। अतः वाद प्रश्न कमांक—3 विचारोपरान्त अप्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

वाद प्रश्न कं0-4 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण

8. उक्त वाद प्रश्न न्यायशुल्क संबंधी होने से उसका सर्वप्रथम निराकरण करना उचित होगा। उक्त वाद प्रश्न भी वादोत्तर में की गई आपित्त के आधार पर निर्मित किया गया था जिसके संबंध में अभिलेख पर किसी भी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है। वाद पत्र में जो अभिवचन कण्डिका—9 में किया गया है कि चूंकि वाद राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिये न्यायशुल्क से मुक्त है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से अंतिम तर्कों में किसी भी अधिवक्ता द्वारा कोई आपित्त व्यक्त नहीं की गई है और प्रतिवादीगण में से केवल प्रतिवादी क0—10 राजू का प्र0सा0—1 के रूप में परीक्षण कराया गया है। चूंकि मूल वाद क्षतिपूर्ति के लिये राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में राज्य शासन न्याय शुल्क से मुक्त होने पर विवादित नहीं है इसलिये वाद प्रश्न कमांक—4 भी अप्रमाणित निर्णीत कर वादी के पक्ष में निराकृत किया जाता है।

वाद प्रश्न कं0-1 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण

- 9. इस संबंध में वादी राज्य की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी राज्य के लिये नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी तत्कालीन एस0डी0ओ0पी0 गोहद अमरनाथ वर्मा वा0सा0—1 के रूप में परीक्षित हुए हैं जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में वाद पत्र के अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के अभिवचनों की ही पुनरावृद्धि की गई है। जिसमें मूलतः यह बताया गया है कि उन्हें प्रकरण में प्रभारी अधिकारी कलैक्टर भिण्ड के पत्र कमांक—क्यू/16/जुडी./08/1495 भिण्ड दिनांक 04.02.2008 से नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण या अन्य साक्ष्य में कोई सुझाव देकर खण्डन नहीं किया गया है जिससे वा0सा0—1 प्रकरण में राज्य की ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त होना प्रमाणित होता है। जिसके संबंध में प्र0पी0—17 का आदेश भी प्रस्तुत हुआ है जिसका कोई खण्डन नहीं है।
- 10. वा०सा0—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा—2 में क्षतिग्रस्त हुए वाहन का इंजिन व चैसिस नंबर एवं रिजस्ट्रेशन नंबर वाद पत्र के अनुसार बताया है। किण्डका—3 में वह भिण्ड इकाई को पी०एच०क्यू० भोपाल से आवंटित होना बताया गया है। उसकी कीमत का भी उल्लेख किया गया है। किण्डका—4 में उक्त वाहन कमांक—एम०पी0—03/5600 में वायरलेस सेट एवं पी०जी०सेट लगे होना और उनकी कीमत पैरा—4 में बताई है जिनके संबंध में साक्ष्य के दौरान उक्त वाहन के रिजस्ट्रेशन की सत्य प्रतिलिपि प्र०पी0—18 सी जिसकी मूल प्र०पी0—18 है जिसे भिण्ड को आवंटित करने संबंधी आदेश प्र०पी0—19, कलैक्टर भिण्ड को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के द्वार लिखा गया पत्र प्र०पी0—20 जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये प्रभारी नियुक्त करने के लिये पेश किया है। तथा कार्यालय निरीक्षक वायरलेस का मूल्यांकन पत्र प्र०पी0—21 जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र०पी0—21 सी है, पेश किये हैं।
- 11. उक्त दस्तावेजों के संबंध में भी प्रतिवादीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कोई सुझाव देकर स्पष्टीकरण नहीं लिया गयाहै। वा०सा0—2 व 3 के रूप में परीक्षित साक्षियों के कथनों में भी उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है न ही प्रतिवादी राजू प्र0सा0—1 के साक्ष्य में उक्त दस्तावजों के बारे में कोई अन्यथा तथ्य बताये गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि वाहन

कमांक—एम0पी0—03 / 5600 पुलिस महानिदेशक पी0एच0क्यू0 भोपाल के नाम से पंजीकृत हुआ था और भिण्ड इकाई को आवंटित हुआ था। जिसे पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय पुलिस वाहन कर्मशाला भोपाल के आदेशानुसार भिण्ड भेजा गया था जिसमें वायरलेस सेट व पी0जी0 सेट भी लगे थे। उनकी कीमत के बारे में भी कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये है। वा0सा0—1 के पैरा—13 में अवश्य तथ्य आया है कि उक्त शासकीय वाहन कब कितनी राशि में शासन द्वारा क्य किया गया इसकी उसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है क्योंकि पूरे प्रदेश के लिये एकसाथ शासकीय वाहन पी0एच0क्यू0 द्वारा खरीदे जाते हैं और खरीदी के प्रमाण पी0एच0क्यू0 भोपाल में ही रहते हैं। रजिस्द्रेशन संबंधी प्रमाण प्र0पी0—18 सी से स्पष्ट होता है और उक्त बाहन जिला भिण्ड के लिये आवंटित होना प्र0पी0—19 से प्रमाणित है। प्र0पी0—21 से वायरलेस सेट की कीमत भी स्पष्ट है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि टाटा—407 पुलिस वाहन कमांक—एम0पी0—03 / 5600 भिण्ड इकाई के लिये आवंटित था। किन्तु उक्त वाहन में प्रतिवादीगण द्वारा ही भीड़ का नेतृत्व करते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जब तक यह प्रमाणित न हो तब तक प्रतिवादीगण को क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं टहराया जा सकता है।

इस संबंध में अमरनाथ वर्मा वा०सा०–1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उक्त वाहन दिनांक 20.11.06 को थाना गोहद के क्षेत्रान्तर्गत कानून व्यवस्था के लिये आ रहा था और नगर में पहुंचने के पहल ही बेसली डेम के पास उक्त वाहन को सामने से भीड़ द्वारा घेर लिया गया था जिसका नेतृत्व प्रतिवादीगण कर रहे थे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया था। भीड़ को काबू में करने का प्रयास किया था किन्तु सफल होने के पूर्व ही उसमें प्रतिवादीगण द्वारा आग लगा दी गई थी जिससे वाहन जलकर नष्ट हो गया था और उसमें लगे वायरलेस सेट व पी0जी0सेट नष्ट हो गये थे जिससे शासन को 4,57,010 / – रूपये का नुकसान हुआ था। पैरा–6 में उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वाहन को नगर निरीक्षक मेहगांव धर्मवीरसिंह भदौरिया एल0ओ0 ड्यूटी में मय फोर्स के गोहद ला रहे थे जिन्होंने भीड़ को तितर–बितर करने के लिये भरसक प्रयास किया था फिर भी प्रतिवादीगण नहीं माने और पत्थर फैंकने लगे थे तथा वाहन को आग लगा दी जिससे उक्त नुकसानी हुई। इस प्रकार वा0सा0—1 के पैरा—5 व 6 में जिस तरह की अभिसाक्ष्य आई है उसमें घटना की व्यक्तिगत जानकारी होना प्रकट किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में वा0सा0-1 ने पैरा-8 में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 20.11.06 को वह भिण्ड जिले में ही पदस्थ नहीं था। संभवतः दतिया जिले में पदस्थ था। गोहद में जब आगजनी की घटना हुई थी उस समय वह मौजूद नहीं था और उसने आंखों से घटना नहीं देखी। उक्त वाहन मेहगांव थाने का था। यह बात मुख्य परीक्षण में नहीं लिखी है कि किस थाने के लिये वाहन आवंटित था। मेहगांव थाने के लिये आवंटित होने का कोई दस्तावेज भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। हालांकि लॉकबुक प्र0पी0-22 के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसका आगे मूल्यांकन

किया जायेगा।

- 13. प्र0पी0—22 में वाहन कमांक—एम0पी0—30 / 5600 टाटा 407 का उल्लेख तो है किन्तु उसमें इस आशय का नोट अंकित है कि दिनांक 20.11.06 को थाना गोहद में एल0ओ0 ड्यूटी के दौरान उग्र भीड़ द्वारा जलाई गई जिसका अप0क0—215 / 06 थाना गोहद में पंजीबद्ध किया गया था। शेष 58 सी0डी0 गाड़ी के साथ जल गया है। उक्त टीप आगजनी की एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद लगाई जाना परिलक्षित होता है क्योंकि अपराध क्रमांक का उल्लेख उसमें किया गया है। प्र0पी0—22 में न तो किसी का नाम है न ही संख्या बताई गई है। केवल उग्र भीड़ का उल्लेख है। उग्र भीड़ में प्रतिवादीगण शामिल थे या नहीं थे, यह मूल रूप से विश्लेषित करने की आवश्यकता उक्त स्थिति में हो जाती है क्योंकि वा0सा0—1 ने पैरा—8 के अंत में यह कहा है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान गाड़ी किसने जलाई थी, उनके नाम पाये गये थे जो प्रतिवादीगण हैं किन्तु प्रतिवादीगण किस आधार पर भीड़ में होना पाये गये या भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, इस बारे में उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में स्थिति स्पष्ट नहीं है इसलिये अन्य साक्षी ए०एस0आई0 मुन्नीलाल मौर्य वा0सा0—2 जिसके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी और ए०एस0आई0 रामकुमार पाठक प्र0सा0—3 जिसके द्वारा विवेचना की गई थी, उनके अभिसाक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीगण के उत्तरदायित्व के बारे में निष्कर्ष निकालना होगा।
- 14. वा०सा०—1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के दौरान थाना गोहद के अप०क०—215/106 अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 427, 435, 188 एवं 353 भा०द०वि० का अंतिम प्रतिवेदन प्र०पी०—1, एफ०आई०आर० प्र०पी०—2, नक्शामौका प्र०पी०—3, नुकसानी पंचनामा प्र०पी०—4, जप्ती पत्र प्र०पी०—5, एस०डी०ओ० गोहद के आदेश दिनांक 20.11.06 प्र०पी०—6, शैलेन्द्रसिंह का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—7, उमेश कुमार का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—8, राजू का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—9, राजेन्द्र का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—10, हैमू उर्फ हैमंत शर्मा का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—11, अमीर मुहम्मद खॉ का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—12, अच्छन खॉ का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—13, रोशन खॉ का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—14, बड़े उर्फ रामकरन का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—15 तथा लाखन गुर्जर का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०—16 पेश किये गये हैं जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्र०पी०—1 सी लगायत प्र०पी०—16 सी तक की पेश की हैं। मूल दाण्डिक प्रकरण कमांक—903/07 का मूल अभिलेख भी प्रकरण में संलग्न है जिसमें भी उक्त दस्तावेज मूलतः संलग्न हैं।
- 15. उक्त दस्तावेजों से इस बात की तो पुष्टि होती है कि दिनांक 20.11.06 को वाहन टाटा 407 कमांक—एम0पी0—03 / 5600 पर करीब दो सौ लोगों की भीड़ द्वारा पत्थर टाल के पास गोहद चौराहा रोड़ पर उक्त भीड़ द्वारा घेरकर पथराव किया गया और वाहन में आग लगाई गई जिससे

नुकसानी हुई। किन्तु गिरफ्तारी पत्रकों के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उक्त घटना आरोपीगण द्वारा ही कारित की गई और बा०सा0—1 के द्वारा न तो घटना देखी गई है न घटना के समय वह जिला भिण्ड में पदस्थ था। इसिलये उसका अभिसाक्ष्य दस्तावेजों पर आधारित है, व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। प्र0पी0—22 की लॉकबुक में भी किसी प्रतिवादी का नाम नहीं है। ऐसे में वा०सा0—1 का अभिसाक्ष्य प्रभारी अधिकारी की हैसियत से औपचारिक स्वरूप का दिया जाना ही परिलक्षित होता है और उससे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी शासन के उक्त वाहन में आग लगाकर उसे नष्ट किया गया जिसमें वायरलेस सेट और पी०जी०सेट भी जलकर नष्ट हो गये। क्योंकि वा०सा0—1 को पैरा—14 मुताबिक यह जानकारी नहीं है कि आगजनी की घटना के समय प्रतिवादी शामिल थे या नहीं थे। उसने दस्तावेजों व रिपोर्ट के आधार पर दावा पेश होना बताया है और नुकसानी पंचनामा भी उसके सामने या उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया है इसिलये वा०सा0—1 के अभिसाक्ष्य से वाद प्रश्न क्रमांक—1 प्रमाणित नहीं होता है।

मुन्नीलाल मौर्य वा0सा0—2 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 20.11.06 को थाना गोहद मे ंएच0सी0एम0 के पद पर पदस्थ रहते हुए यह बताया है कि उक्त दिनांक को थाना प्रभारी मेहगांव मय पुलिस बल के गोहद थाने के क्षेत्रान्तर्गत बेसली डेम के पास बनी पत्थर टाल के पास हत्या सहित डकैती की सनसनीखेज घटना घटित घटना में कानून व्यवस्था के लिये एस०पी० के आदेश से वाहन टाटा ४०७ क्रमांक-एम०पी०-03 / ५६०० से आ रहे थे और उक्त घटना से जनता आक्रोशित थी जिसमें कुछ लोगों ने उपद्रव करते हुए वाहन में आग लगा दी थी जिससे वाहन और उसमें रखा वायरलेस सेट जल गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद के निर्देश पर उसने उक्त घटना की एफ0आई0आर0 प्र0पी0-2 पंजीबद्ध की थी और विवेचना प्र0आर0 रामकुमार पाठक को थाना प्रभारी के निर्देश पर सुपुर्द की गई। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि 200 अज्ञात लोगों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। एफ0आई0आर0 लिखते समय कोई भी आरोपी ज्ञात नहीं था। 200 उपद्रवी लोग किस स्थान के थे, यह भी उसे पता नहीं है। थाना मेहगांव के नगर सैनिक अवधेश कुमार द्वारा एफ0आई0आर0 लिखाई गई थी उस समय आगजनी करने वालों की उम्र कद, काठी हुलिया आदि कुछ भी नहीं बताया गया था। उपद्रवी भीड़ कहाँ की थी, यह भी नहीं बता सकता है। 200 अज्ञात लोग अंदाज से लिखाये गये थे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से अधिकतम प्र0पी0-2 की एफ0आई0आर0 की पुष्टि ही हो सकती है कि भीड़ द्वारा वाहन टाटा–407 कमांक– एम0पी0-03 / 5600 में पथराव करके आग लगाई गई और उससे नुकसानी हुई किन्तु घटना में प्रतिवादीगण शामिल थे, ऐसा वा०सा0-2 के अभिसाक्ष्य से भी प्रमाणित नहीं होता है।

17. ए०एस०आई० रामकुमार पाठक वा०सा०—3 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 26.11.06 को

थाना गोहद में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए अप0क0—215/06 की एफ0आई0आर0 विवेचना हेतु प्राप्त होना कहा है और यह कहा है कि उसने दिनांक 29.11.06 को घटनास्थल पर जाकर टी0आई0 मेहगांव धर्मसिंह भदौरिया की निशादेही पर प्र0पी0—3 का नक्शामौका बनाया था।उसी दिन साक्षीगण देवराम और राकेश जोशी की निशादेही पर वाहन कमांक—एम0पी0—03/5600 का नुकसानी पंचनामा प्र0पी0—4 बनाया था जिसमें करीब सात लाख की नुकसानी का लेख किया गया है। और उक्त साक्षियों के समक्ष ही वाहन को प्र0पी0—5 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था। उक्त साक्षी के मुताबिक उस पर केवल विवेचना एक ही दिन रही। उसके बाद उसका स्थानांतरण हो गया था, ऐसा पैरा—5 में उसने बताया है। यह स्वीकार किया है कि नुकसानी की कार्यवाही करते समय उसने जली गई गाड़ी के फोटो नहीं निकलवाये न ही जिस स्थान पर गाड़ी जली थी वहाँ का फोटो निकलवाया। यद्धिप उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसने नुकसानी काल्पनिक रूप से अंकित की है बल्कि साक्षियों के बताने पर सात लाख रूपये की नुकसानी लेखबद्ध करना पैरा—2 में कहा है। स्वयं कोई आंकलन नहीं किया था और यह भी स्वीकार किया है कि नुकसानी पत्रक के दोनों साक्षी वाहन की क्षिति आंकलित करने के विशेषज्ञ नहीं थे। पुलिस लाईन भिण्ड की एम0टी0 शाखा से उसने जले हुए वाहन का कोई परीक्षण नहीं कराया था।

- 18. इस तरह से उक्त साक्षी रामकुमार पाठक वा०सा0—3 के अभिसाक्ष्य को यदि पूरी तरह से देखा जाये तो उससे भी केवल दिनांक 20.11.06 को गोहद थाना क्षेत्रान्तर्गत वैसली डेम के आगे लोक मार्ग पर शासकीय पुलिस वाहन कमांक—एम0पी0—03/5600 में आगजनी होने और उससे वाहन तथा उसमें लगे वायरलेस सेट व पी०जी० सेट का जलकर नष्ट हो जाना ही प्रमाणित कर सका है किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा उसके अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो सका है क्योंकि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसके द्वारा न तो पंजीबद्ध अपराध के आरोपियों को पकड़ा गया न ही कोई पूछताछ की गई। उक्त साक्षी ने अग्रिम विवेचना नरेन्द्रपालिसंह द्वारा करना बताया है जिसे वादी की ओर से पेश नहीं किया गया है जो इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण देने में समर्थ था कि प्रतिवादीगण को किस आधार पर आगजनी के मामले में अभियोजित किया गया था और उनकी पहचान कैसे सुनिश्चित हुई जिसके अभाव में वादी हुई आगजनी के लिये प्रतिवादीगण को उत्तरदायी उहराने के लिये समर्थ था, सशक्त नहीं है।
- 19. प्रकरण में प्रतिवादी साक्षी राजू प्र0सा0—2 द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 20.11.06 को उसकी सफाई के लिये अस्पताल गोहद के सामने वार्डनंबर—12 में पुराने बस स्टेण्ड से हटीले हनुमान जी तक सुबह छः बजे से दोपहर दस बजे तक ड्यूटी थी उसके बाद वह नगर पालिका केन्द्र पर रहा था। उसने कोई आगजनी की घटना कारित नहीं की और उसके खिलाफ

झूंठा मामला चलाया गया था जिसमें वह बरी हो गया है। उक्त साक्षी के द्वारा प्र0डी0—1 के रूप में आप0प्र0क0—903/07 निर्णय दिनांक 08.12.15 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। पैरा—5 में उसने यह भी कहा है कि ड्यूटी का हाजिरी रजिस्टर नगर पालिका में रहता है उसमें दो बजे हाजिरी भरी जाती है और उसने कोई ड्यूटी का रजिस्टर पेश नहीं किया है क्योंकि वह नगर पालिका में रहता है।

- 20. प्र०डी०—1 का मूल निर्णय संलग्न प्र०क०—903/07 में भी है जिसके अवलोकन से दाण्डिक न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को बताई गई घटना दिनांक 20.11.06 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही प्रमाणित नहीं माना गया। उनकी पहचान भी नहीं हुई रिपोर्ट अज्ञात में थी तथा अभियोजित करते समय प्रतिवादीगण की पहचान कैसे सुनिश्चित हुई, इस बारे में साक्ष्य का अभाव पाते हुए दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है। हालांकि दण्ड न्यायालय का निर्णय सिविल न्यायालय पर कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं रखता है। किन्तु मूल वाद में जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें भी इस बिन्दु पर कोई भी साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित कर सके कि आगजनी की घटना से प्रतिवादीगण का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध या सरोकार रहा हो। उसके बिना क्षतिपूर्ति का वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिकी योग्य नहीं हो सकता है।
- 21. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं की साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत दूल्हें सिंह विरुद्ध जुझारसिंह 1995 भाग—2 एम0पी0डब्ल्यु०एन० एस०एन० 170 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये प्रकरण में प्रतिवादी क0—10 के अलावा अन्य प्रतिवादियों के द्वारा साक्ष्य पेश न करने से वादी के पक्ष में कोई उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है। न ही वादी की साक्ष्य से प्रतिवादीगण का कोई उत्तरदायित्व निर्धारित होता है। बल्कि प्रकरण में जिन साक्षियों के आधार पर प्रतिवादीगण को अभियोजित किया गया था उनमें से किसी के द्वारा अभिवचनों की पुष्टि की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गई है। प्र0पी0—7 लगायत 10 के गिरफ्तारी पत्रकों के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा ही शासकीय पुलिस वाहन में आग लगाकर नुकसानी की गई।
- 22. नुकसानी पत्रक प्र0पी0—4 में सात लाख रूपये की नुकसानी बताई गई है जिसके बारे में प्र0सा0—3 पंच साक्षियों का आधार लेता है किन्तु उक्त नुकसानी इसी आधार पर काल्पनिक स्वरूप की हो जाती है कि मूल वाद में क्षतिग्रस्त वाहन टाटा—407 की मूल कीमत ही 4,38,596/—रूपये, वायरलेस सेट की कीमत 11990/—रूपये, तथा पी0जी0 सेट की कीमत 6524/—रूपये कुल 4,57,010/—रूपये होना बताई गई है। सात लाख रूपये किसी भी रूप में कीमत नहीं हो सकती है।

इसलिये पुलिस कार्यवाही सुदृढ़ स्वरूप की नहीं है।

23. इस प्रकार से अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर वादी राज्य यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण के द्वारा ही मध्यप्रदेश राज्य शासन के पुलिस वाहन टाटा—407 कमांक—एम0पी0—03/5600 और उसमें लगे वायरलेस सेट एवं पी0जी0सेट में आग लगाकर उनको नष्ट कर शासन को क्षिति पहुंचाई गई। इसलिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रश्न कमांक—1 प्रमाणित नहीं होता है। फलतः उसे वादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न कं0-2 व 5 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण

- 24. उपरोक्त दोनों वाद प्रश्न सहायता संबंधी हैं, अतः उनका निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
- 25. वाद प्रश्न कमांक—1 के उपरोक्त किये गये विश्लेषण मुताबिक प्रतिवादीगण के द्वारा आग लगाकर नुकसान पहुंचाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण से आगजनी से हुई शासकीय वाहन और उसमें लगे वायरलेस सेट एवं पीठजीठसेट के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप क्षितिपूर्ति के रूप में 4,57,010 / —रूपये प्राप्त करने के कतई पात्र नहीं हैं। न ही कोई अन्य सहायता पाने के पात्र हैं। फलतः वाद प्रश्न कमांक—2 भी वादी के विरूद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित उहराया जाता है और यह निष्कर्षित किया जाता है कि वादी वर्तमान प्रस्तुत वाद के माध्यम से कोई भी सहायता प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलतः वादी का वाद स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है।
- 26. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने से सूची अनुसार दोनों में से जो भी कम हो वादव्यय में जोडा जावे ।

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे।

दिनांक— **03 फरवरी—2016**

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) (पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

ALIHADA PAROTA PAROTA SUNTIN BOTA PAROTA PAR